(भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक. . . . .
में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15/02/2011

का.आ. (अ) - केन्द्रीय सरकार, पेटेंट आवेदनों को फाइल करने और प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने और पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रदत्त संबद्ध प्रमाणपत्रों के साथ-साथ पेटेंट डाटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए और पूर्वोक्त प्रयास के अंश के रूप में, पेटेंट आवेदनों की ई-फाइलिंग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव करती है।

और केन्द्रीय सरकार, यह मान्यता देने के पश्चात् कि पेटेंट आवेदनों की आज्ञापक ई-फाइलिंग कुछ पेटेंट आवेदकों के लिए सुविधाजनक नहीं हो सकेगी, आवेदनों की ई-फाइलिंग करने की प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सभी पेटेंट कार्यालयों में उपर्युक्त सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, संशोधनों के प्रारूप को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, तथा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, इस अधिसूचना से युक्त शासकीय राजपत्र को आम जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् विचार किया जाएगा; और पेटेंट (संशोधन) नियम, 2011 के प्रारूप की एक प्रति इस विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों तो, उन्हें सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 को भेजे जाएंगे।

आक्षेप या सुझावों को chandni.raina@nic.in पर ईमेल भी किया जा सकता है।

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2011 का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2011 है।

   (2) वे, राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-**

"6 दस्तावेज छोड़ना तथा उनकी तामील:-

(1) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन कोई आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज जो पेटेंट कार्यालय, या नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के पास फाइल किए जाने, छोड़े जाने या दिए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित हों, उसे सम्यक प्रामाणिक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस्मिशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

परंतु वह सुस्पष्ट और पूर्णतया सुपाठ्य हो और नियम 9 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार किया गया हो।

परंतु यह और कि जहाँ कोई एक आवेदक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस्मिशन का उपयोग करता है तो वहाँ वह इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन के बिना, यदि उसकी ऐसी बांछा हो, ऐसा कर सकता है, ऐसी स्थिति में वह आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कर कागज स्वरूप में उपयुक्त कार्यालय में जमा किया जा सकेगा।

(2) किसी पेटेंटधारी को उसके पते, जैसा कि पेटेंट के रजिस्टर में प्रदर्शित है या नियम 5 के अधीन उसकी तामील पते के रूप में प्रदत्त है, या इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी आवेदक या विरोधकर्ता को, उस आवेदन या विरोध की सूचना में प्रदर्शित या के दिए हुए पते पर प्रेषित किसी लिखित सूचना को उपयुक्त रूप से प्रेषित हुआ माना जाएगा।

(3) पेटेंट अधिनियम या उसके अधीन इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी

पेटेंटधारी, या किसी आवेदक या विरोधकर्ता को प्रेषित सभी सूचनाओं और सभी लिखित संप्रेषण, पेटेंटधारी या उस उक्त आवेदक या विरोधकर्ता को अग्रेषित सभी दस्तावेज, इसके सिवाय जबकि उन्हें किसी विशेष संदेश वाहक के माध्यम से भेजा जाए, को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवा या सम्यक रूप से अधिप्रमाणित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस्मिशन के माध्यम से भेजा जा सकेगा।

(4) इस अधिनियम और इनके नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी पेटेंटधारी या किसी आवेदक या विरोधकर्ता को प्रेषित किसी सूचना या किसी लिखित संप्रेषण की तारीख ही रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर या फैक्स या सम्यक रूप से अधिप्रमाणित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस्मिशन, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से भेजी गई उक्त सूचना या लिखित संप्रेषण की तारीख होगी, जब तक कि इस अधिनियम या इसके नियमों के तहत अन्यथा विर्निदिष्ट न हो।

(5) पेटेंट कार्यालय द्वारा इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार को भेजे गए दस्तावेज या किसी सूचना प्राप्ति में विलंब की दशा में, किसी पक्षकार द्वारा पेटेंट कार्यालय में किसी दस्तावेज के पारेषण या पुनः प्रस्तुत करने या किसी कार्य को करने में विलंब को नियंत्रक द्वारा माफ किया जा सकेगा यदि उस पक्षकार द्वारा उस दस्तावेज या संप्रेषण की प्राप्ति के तुरंत बाद देरी की माफी हेतु एक याचिका, अपने कथन के समर्थन में तथ्य और साक्ष्य की परिस्थिति से संबंधित एक अनुरोध नियंत्रक को देता है।

परंतु नियंत्रक द्वारा माफ किया गया विलंब उस बीच की अवधि से अधिक नहीं होगा जो उस तारीख को जिसको पक्षकार द्वारा दस्तावेज या संसूचना साधारण मेल प्रक्रिया या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस्मिशन के माध्यम से प्राप्त किए जाने की संभावना थी और उसकी प्राप्ति की वास्तविक तारीख के बीच की हो।"

3. मूल नियमों के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9 दस्तावेज और प्ररूपों की फाइलिंग, आदि-

(1) सभी दस्तावेज और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों, को शपथ पत्र के सिवाय, जिन्हें पेटेंट कार्यालय को भेजा गया हो या अन्यथा नियंत्रक को प्रस्तुत की गई हों, उसमें उपबंधित प्ररूप में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस्मिशन का उपयोग करके प्रस्तुत करना होगा, वे

क) हिन्दी या अंग्रेजी में (जब तक कि नियंत्रक द्वारा अन्यथा निदेशित या अनुज्ञात न किया गया हो) बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में जो 0.28 सेमी ऊँचाई से कम ना हो, गहरे अमिट स्याही से पंक्तियों में विस्तृत स्थान रखते हुए जो $1^1/_2$ स्थान से कम ना हो, टंकित या मुद्रित;

ख) A4 आकार के लगभग 29.7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर के A4 आकार के कागज पर शीर्ष और बायीं ओर कम-से-कम 4 सेंटीमीटर तथा तल और दाहिनी ओर 3 सेंटीमीटर का हाशिया रखते हुए;

ग) पृष्ठ के तल के मध्य में निरंतर अरेबिक संख्याओं में संख्यांकित; और

ध) वर्णन के प्रत्येक पृष्ठ की प्रत्येक पांचवी पंक्ति पर और दावे के प्रत्येक पृष्ठ के बाएं हाशिए के दाहिने अर्ध में संख्या प्रदान करनी होगी।

(2) कोई हस्ताक्षर जो सुपाठ्य नहीं है या अंग्रेजी या हिन्दी से अन्यथा किसी भाषा में है, उसके साथ नाम का लिप्यंतरण हिन्दी या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में संलग्न होना चाहिए।

(3) संशोधित दस्तावेज को पेटेंट के लिए आवेदन पर कार्यालय पत्राचार के प्रत्युत्तर के साथ दाखिल किया जाना अपेक्षित होगा जिसके अंतर्गत उससे सम्बद्ध कोई अन्य दस्तावेज भी है, जो पेटेंट कार्यालय की ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करते हुए भी फाइल किया जाएगा।

परंतु जहाँ कोई आवेदक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस्मिशन का उपयोग करता है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के बिना, यदि उसकी ऐसी वांछा हो, ऐसा कर सकता है, ऐसे मामले में संशोधित दस्तावेज पेटेंट हेतु आवेदन पर कार्यालय पत्राचार के प्रत्युत्तर के साथ उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज सहित फाइल करना आवश्यक होगा, कागज स्वरूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित उपयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(4) यदि पेटेंट हेतु आवेदन न्यूक्लियोटाइड के सिक्वेंश लिस्टिंग और/या अमीनो एसिड सिक्वेंश को दर्शाता है तो उसे ASCII टेक्स्ट फाइल में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ जमा करना होगा।

(5) जहाँ आवेदन और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से फाइल किए गए हों वहाँ आवेदन/दस्तावेज की अतिरिक्त प्रतियाँ उपयुक्त कार्यालय में तब तक दाखिल नहीं करनी चाहिए जब तक कि नियंत्रक द्वारा अपेक्षित न हो। परंतु जहाँ

कोई आवेदक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के बिना ऑन लाइन प्रणाली का विकल्प चुनता है, तो वह सभी दस्तावेज की कागज स्वरूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रतियाँ उपयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(6) आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के साथ पूरे नाम और पते उनकी राष्ट्रीयता और ऐसे अन्य विवरणों यदि कोई हों, देनी होगी, जो कि उनके पहचान के लिए आवश्यक है।

(7) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी भी कारणवश ऑनलाइन ट्रांस्मिशन प्रारंभ नहीं हो सका या सही से पूरा न हो सका तो पेटेंट कार्यालय, या नियंत्रक को या अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज स्वयं जमा करने या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवा के माध्यम से भेजी जा सकेगी परंतु यह उसे अधिनियम और इन नियमों के अधीन विहित समय के भीतर उपलब्ध करा दिया गया हो।

4. **नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थात् :-**

"14 विनिर्देश में संशोधन

(1) आवेदक या उसके अभिकर्ता को जब कोई अनंतिम या संपूर्ण विनिर्देश या इसके साथ कोई रेखाचित्र संशोधन के लिए प्राप्त होता है तो उसमें आवश्यक परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए। जहाँ अपेक्षित हो अतिरिक्त कथन उन पृष्ठों को पुन: लिखकर अंतर्विष्ट किया जा सकेगा जैसा कि उस दस्तावेज को एक निरंतर स्वरूप देने के लिए अपेक्षित है। संशोधनों को उक्त दस्तावेज में से किसी पर पाद-टिप्पण के रूप में या हाशिए में नहीं लिखना चाहिए।

(2) संशोधित दस्तावेज अतिष्ठित पृष्ठों या रेखाचित्रों, यदि कोई हो, के साथ, आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा, सम्यक रूप से निरस्त और आद्याक्षरित, ऑनलाइन ट्रांस्मिशन प्रणाली के माध्यम से नियंत्रक को वापस कर दिया जाएगा। परंतु प्रत्येक पृष्ठ जिसे पुन: टंकित या जोड़ा गया है और कोई रेखाचित्र जिसे जोड़ा या सारत: संशोधित किया गया है, उसके शीर्ष पर संशोधित के रूप में चिह्न्ति मूल दस्तावेज के साथ जोड़कर निरंतर दस्तावेज का स्वरूप दिया गया है और संशोधित रूप में चिह्न्ति किया गया उन्हें समाहित करके ऑनलाइन ट्रांस्मिशन प्रणाली का उपयोग करते हुए इस वचन के साथ पुन: प्रस्तुत करेगा कि विनिर्देश और रेखाचित्र

के संशोधित पृष्ठ, यदि कोई हो, मूल रूप से प्रस्तुत दस्तावेज के सम-स्वरूप है।

परंतु यह और कि अतिष्ठित पृष्ठ या रेखाचित्र, यदि कोई हों, सम्यक रूप में चिह्नित निरस्त करें और आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा आद्याक्षरित करके एक पृथक दस्तावेज के रूप में ऑनलाइन ट्रांस्मिशन प्रणाली का उपयोग करते हुए नियंत्रक को वापस कर दिए जाएंगे।

5. **मूल नियमों के नियम 15 के उप-नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-**

"(3) जहाँ रेखाचित्रों को ऑनलाइन ट्रांस्मिशन माध्यम से पारेषित नहीं किया गया वहाँ रेखाचित्र की एक प्रति टिकाऊ कागज पर साफ और स्पष्ट रूप में तैयार की जाएगी।"

6. **मूल नियमों की प्रथम अनुसूची में, -**

अंत में आने वाले टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा अर्थात् :-

"टिप्पण: सभी फॉर्म, आवेदन, अनुरोध, सूचना और याचिकाएँ ऑनलाइन ट्रांस्मिशन प्रणाली का उपयोग करते हुए फाइल की जाएगी जब तक कि नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।"

[एफ.सं. 14/1/2008-IPR-III]

वे. भास्कर

(वे. भास्कर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण- मूल नियम, भारत का राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्या का.आ. 493(अ), दिनांक 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यक द्वारा संशोधित किए गए-

(i) का.आ. 1418(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2004 और

(i) का.आ. 657(अ), तारीख 5 मई, 2005.

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3 SUB-SECTION (ii), DATED THE..........)

Government of India

Ministry of Commerce and Industry

(Department of Industrial Policy and Promotion)

Notification

New Delhi, the 15/02/..,2011

S.O.(E) – Whereas, the Central Government in order to improve the efficiency and transparency in filing and processing of Patent applications and to ensure the accuracy of the patent data as well as related certifications provided by the Patent Office and as a part of the aforesaid effort, proposes to make e-filing of patent applications mandatory by suitably amending the Patent Rules.

And whereas, the Central Government, after recognising that such mandatory e-filing of patent applications may not be convenient for some patent applicants, proposes to provide suitable assistance at all Patent Offices to assist those who need help in the procedure for e-filing of applications.

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act 1970, (39 of 1970), to make suitable amendments in the Patent Rules, 2003, hereby publishes the draft of proposed amendments as required by sub-section (3) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be

taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the Official Gazette, containing the notification, are made available to the public; and a copy of the draft Patent (Amendment) Rules, 2011 is also uploaded on the website of this Department.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

The objections or suggestions may also be sent by email at chandni.raina@nic.in

DRAFT OF PATENT (AMENDMENT) RULES;- 2011

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **In the Patent Rules, 2003, (herein after called Principal rules for rule 6, the following rule shall be substituted, namely;-**

"6. Leaving and serving documents

(1) Any application, notice or other document authorised or required to be filed, left, made or given at the patent office, or to the Controller or to any other person under the Act or these rules, may be tendered by using online electronic transmission duly authenticated.

PROVIDED that the same is clear and fully legible and drawn in accordance with provisions of rule 9.

Provided further that where an individual applicant uses online electronic transmission he may do so, if he so desires, without electronic authentication, in such case the application, notice or other document shall be duly signed and submitted in paper form also at the appropriate office.

(2) Any written communication addressed to a patentee at his address as it appears on the register of patents or at his address for service given under rule 5, or to any applicant or opponent in any proceedings under the Act or these rules, at the address appearing on the application or notice of opposition, or given for service, shall be deemed to be properly addressed.

(3) All notices and all written communications addressed to a patentee, or to any applicant or opponent in any proceedings under the Patent Act or under these rules, and all documents forwarded to the patentee or to the said applicant or opponent, shall, except when they are sent

by special messenger, be sent by registered post or speed post or courier service or by online electronic transmission duly authenticated.

(4) The date of a notice or a written communication addressed to a patentee or to any applicant or opponent in any proceedings under the Act and these rules shall be the date of dispatch of the said notice or written communication, by registered post or speed post or courier or fax or online electronic transmission duly authenticated, as the case may be, unless otherwise specified under the Act or these rules.

(5) In case of delay in receipt of a document or a communication sent by the patent office to a party to any proceedings under the Act or these rules, the delay in transmitting or resubmitting a document to the patent office or doing any act by the party may be condoned by the Controller if a petition for such condonation of delay is made by the party to the Controller immediately after the receipt of the document or a communication along with a statement regarding the circumstances of the fact and evidence in support of the statement:

Provided that the delay condoned by the Controller shall not exceed the period between the date on which the party was supposed to have received the document or communication by ordinary course of mail or online electronic transmission and the actual date of receipt of the same.

3. For rule 9 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely;-

"9. Filing of documents and formats , etc.-

(1) All documents and copies of the other documents, except affidavits sent to the patent office or otherwise furnished to the Controller, shall be submitted by using online electronic transmission in the format provided therein shall be

a) typewritten or printed in Hindi or in English (unless otherwise directed or allowed by the Controller) in large and legible characters not less than 0.28 cm high with deep indelible-ink-with lines widely spaced

not less than 1 ½ spaced ;

(b) on page A4 size of approximately 29.7 centimetre by 21 centimetre with a margin of at least 4 centimetre on the top and left hand part and 3 centimetre on the bottom and right hand part thereof;

(c) numbered in consecutive Arabic numerals in the centre of the bottom of the page; and

(d) provided with numbering on every fifth line of each page of the description and each page of the claims at right half of the left margin.

(2) Any signature which is not legible or which is other than English or Hindi shall be accompanied by a transcription of the name either in Hindi or English in block letters.

(3) The amended documents required to be filed along with response to office communication on an application for patent including any other documents related thereto shall also be filed using online system of the patent office.

Provided that where an individual applicant uses online electronic transmission he may do so, if he so desires, without electronic authentication, in such case the amended documents required to be filed along with response to office communication on an application for patent including any other documents related thereto shall be duly signed and submitted in paper form also at the appropriate office.

(4) In case, the application for patent discloses sequence listing of nucleotides and/ or amino-acid sequences, it shall be submitted in an ASCII text file along with the fee specified in the First Schedule.

(5) where the application and other documents have been filed using online system, additional copies of application/documents shall not be filed at the appropriate office unless required by the Controller.

Provided that where an individual applicant opts for using online system without electronic authentication he shall submit two copies of all the documents duly signed in paper form at the appropriate office.

(6) Names and addresses of applicants and other persons shall be given

in full together with their nationality and such other particulars, if any, as are necessary for their identification.

(7) notwithstanding anything contained in sub-rule(1), when online transmission cannot be initiated or correctly completed for whatever reasons, any application, notice or other document authorised or required to be filed, left, made or given at the patent office, or to the Controller or to any other person under the Act or these rules, may be sent by hand delivery or registered post or speed post or courier service provided that the same is delivered within the time prescribed under the Act and the Rules.

4. For rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

"14. Amendments to specifications

(1) When a provisional or complete specification or any drawing accompanying it has been received by the applicant or his agent for amendment, the necessary alterations shall not be made thereon. Additional matter where required may be interpolated, by rewriting such pages as are required to form a continuous document. Amendments shall not be made as footnotes or by writing in the margin of any of the said documents.

(2) The amended documents shall be returned to the Controller together with the superseded pages or drawings, if any, duly marked, cancelled and initialed by the applicant or his agent, using the online transmission system.

Provided that every page that have been retyped or added and of any drawing that has been added or substantially amended shall be marked on the header as amended and incorporated in the original document to form a continuous document and resubmitted with marking as amended, using the online transmission system with an undertaking that the un-amended pages of the specification and drawing if any, are the same as

those originally submitted.

Provided further that the superseded pages or drawings, if any, shall be returned to the Controller duly marked, cancelled and initialed by the applicant or his agent using online transmission system as separate document.

5. **For sub-rule 3 of rule 15 of the principal rules, the following sub-rule shall be substituted, namely;-**

"(3) where the drawings are not transmitted by online transmission one copy of the drawing shall be prepared neatly and clearly on a durable paper sheet."

6. **In the FIRST SCHEDULE to the principal rules,–**

for Note occurring at the end, the following Note shall be substituted, namely;-

"Note: All forms, applications, request, notice and petitions shall be filed using online transmission system unless otherwise specified in the rules.".

[F. No. 14/2/2011-IPR-III]

(V. Bhaskar)

Joint Secretary to the Government of India

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification number S.O. 493 (E), dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended *vide* notification numbers –

(i) S.O. 1418(E), dated the 28th December, 2004 and

(ii) S.O. 657 (E), dated the 5th May, 2006.